रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2342] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15, 2014/कार्तिक 24, 1936
No. 2342] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 2014/KARTIKA 24, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2922(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 2915(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 2014, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 13 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित किया गया था, की अनुसुची-I में—

(i) क्रम संख्या 6 के सामने कॉलम (4) में संख्या और शब्द "(x) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), विशाखापट्नम" अंत: स्थापित किया जाता है जिनका मुख्यालय विशाखापट्नम, जिसे कॉलम (5) में अंत: स्थापित किया जाना है, होगा;

(ii) क्रम संख्या 6 के सामने कॉलम (5) में संख्या और शब्द "(x) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), विशाखापट्नम" जो कॉलम (4) में अंत: स्थापित किये गए हैं, के सामने शब्द "विशाखापट्नम" अंत: स्थापित किया जाता है;

(iii) क्रम संख्या 9 के सामने कॉलम (4) में संख्या और शब्द "(xiv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), कोलकता-3" और कॉलम (5) में तदनुरुपी प्रविष्टि "कोलकता" का लोप किया जाता है;

(iv) कॉलम (4) में संख्या (x), (xi), (xii) और (xiii) का क्रमश: संख्या (xi), (xii), (xiii) और (xiv) के रूप में संशोधित किया जाता है ।

[अधिसूचना सं. 71 /2014/फा. सं.187/37/2014(आईटीए-I)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th November, 2014

(Income-tax)

S.O. 2922(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, number S.O. 2915(E), dated 13th November, 2014 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 13th November, 2014, in the Schedule-I,

(i) against serial number 6 in column (4), the number and words "(x) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax (Central), Vishakhapatnam" are inserted;

(ii) against serial number 6 in column (5) the word "Vishakhapatnam" is inserted against the number and words "(x) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax(Central) Vishakhapatnam" so inserted in column (4);

(iii) against serial number 9 in column (4), the number and words "(xiv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax (Central), Kolkata-3" are omitted along with the corresponding entry "Kolkata" in column (5);

(iv) in column (4), the numbers (x), (xi), (xii) and (xiii) are renumbered as (xi), (xii), (xiii) and (xiv) respectively.

[Notification No. 71/2014/F. No. 187/37/2014 (ITA-I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.